छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2957 /PROJ-41011/429/2026-WRD, अटल नगर, दिनांक 17 /07/2026

प्रति,

मुख्य अभियंता,
गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :- **"अपरीक्षित नवीन मद" अंतर्गत रू. 5.00 करोड़ तक के योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :- **छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र.-308/वित्त/चार/2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.05.2025.**

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 के तहत आपके संरचनाधीन राशि रू. 5.00 करोड़ तक के निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति नीचे दर्शित शर्तो के अधीन प्रदान करता है :-

स. क्र.	योजना का नाम	जल संसाधन संभाग कार्यलय का नाम	मांग संख्या	लागत राशि रू. (लाख में)	प्रस्तावित सिंचाई (हे.)
1	कांकेर जिले के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा के लघु जलाशय पी.व्ही. 114 का बांध का जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कांकेर	41/4702 (3828) 2026-27	272.76	28.4
2	कांकेर जिले के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा के लघु जलाशय पी.व्ही. 36 का बांध का जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कांकेर	41/4702 (3828) 2026-27	496.81	400.2
3	कांकेर जिले के विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा के पानीडोबरी एनीकट कम कॉजवे, निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कांकेर	41/4702 (5059) 2025-26	341.94	60
4	कांकेर जिले के विकासखण्ड-चारामा के गोलकुम्हड़ा जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कांकेर	41/4702 (3828) 2025-26	450.79	110
5	कांकेर जिले के विकासखण्ड-कांकेर के मरकाटोला व्यपवर्तन कन्हारपुरी शाखा नहर लाइनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कांकेर	75/4702 (5189) 2025-26	499.23	300
6	कोण्डागाँव जिले के विकासखण्ड-फरसगाँव के बड़ेडोंगर जलाशय योजना क्र.-01 का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य की प्रशायकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कोण्डागाँव	41/4702 (3828) 2026-27	335.10	50
7	कोण्डागॉव जिले के विकासखण्ड-फरसगॉव के लंजोड़ा उद्वहन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कोण्डागाँव	41/4702 (3828) 2026-27	388.57	295
8	कोण्डागाँव जिले के विकासखण्ड-माकड़ी के श्यामपुर व्यपवर्तन योजना का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कोण्डागाँव	41/4702 (3828) 2026-27	345.69	201
9	कोण्डागॉव जिले के विकासखण्ड-कोण्डागॉव के घोड़ागांव एनीकट क्रमांक 01 का मरम्मत एवं गेट लगाने का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कोण्डागाँव	41/4702 (5059) 2026-27	400.28	100

..2

स. क्र.	योजना का नाम	जल संसाधन संभाग कार्यलय का नाम	मांग संख्या	लागत राशि रू. (लाख में)	प्रस्तावित सिंचाई (हे.)
10	कोण्डागाँव जिले के विकासखण्ड-कोण्डागाँव के सोनाबाल जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशायकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग कोण्डागाँव	41/4702 (3828) 2025-26	195.89	55
11	नारायणपुर जिले के विकासखण्ड-नारायणपुर के जल संसाधन कालोनी नारायणपुर स्थित शासकीय भवनों एवं जल संसाधन संभाग नारायणपुर कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार कार्य एवं पाईप लाईन सुधार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग नारायणपुर	41/4702 (3828) 2025-26	407.53	- - -
12	बस्तर जिले के विकासखण्ड-बस्तर के मुंजला तालाब का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशायकीय स्वीकृति।	टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर	41/4702 (3828) 2025-26	247.36	30
13	बस्तर जिले के विकासखण्ड-बकावण्ड के ग्राम संतोषा में मारकण्डी नदी पर स्टॉपडेम का निर्माण कार्य (याचिका क्र.-1025) की प्रशासकीय स्वीकृति।	टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर	41/4702 (5059) 2025-26	345.71	70
14	बस्तर जिले के विकासखण्ड-जगदलपुर के जगदलपुर इंद्रावती नदी पर तटरक्षण एवं बाढ़ प्रबंधन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर	41/4711 (6757) 2025-26	404.51	- - -
15	बस्तर जिले के विकासखण्ड-जगदलपुर के जगदलपुर शहर में इन्द्रावती का बाढ़ नियंत्रण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर	41/4711 (6757) 2025-26	415.76	- - -
16	कोण्डागॉव (बस्तर) जिले के विकासखण्ड-बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात में केन्टीलीवर ग्लासडेक ब्रिज निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर	41/4702 (5059) 2025-26	490.1	- - -
17	दंतेवाड़ा जिले के विकासखण्ड-गीदम के बारसूर जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर सी.सी.लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग दंतेवाड़ा	41/4702 (3828) 2025-26	499.35	217
18	दंतेवाड़ा जिले के विकासखण्ड-दंतेवाड़ा के कुम्हाररास जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य एवं नहर लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग दंतेवाड़ा	41/4702 (3828) 2025-26	498.91	320
19	दंतेवाड़ा जिले के विकासखण्ड-दंतेवाड़ा के बालूद एनीकट का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग दंतेवाड़ा	41/4702 (5059) 2025-26	292.64	70
20	बीजापुर जिले के विकासखण्ड-बीजापुर के जल संसाधन संभाग बीजापुर के अंर्तगत निरीक्षण गृह निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग बीजापुर	41/4702 (3828) 2025-26	190.51	- - -
21	सुकमा जिले विकासखण्ड-कोण्टा के बण्डा जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर के उन्नयन एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल संसाधन संभाग सुकमा	41/4702 (3828) 2025-26	174.41	115

2. योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 अनुसार गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय विभागीय मंत्री सह, मुख्यमंत्री महोदय का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

3. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

4. कार्य की ड्रॉइंग व डिजाईन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।

..3

5. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को दिया जाये।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
7. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
8. यदि कार्य में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये।
9. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
10. कार्य की निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने पर अथवा मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर या नवीन कार्य जोड़े जाने पर या किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृत लागत तथा उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का दायित्व (Liability) निर्मित होने की स्थिति में निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृत्ति तत्समय ही प्राप्त की जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के अतिरिक्त दायित्व निर्मित न किये जाये।
11. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
12. निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।
13. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
14. अनुबंध अनुसार कार्य समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। निर्माण कार्य में समय वृद्धि (Time Extention) नियमानुसार अर्थदण्ड सहित अधिरोपित किया जाये। कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि
15. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
16. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव की उपयुक्तता (Viability) का आंकलन सुनिश्चित कर लिया जाये। प्रस्ताव लोकहित के मूल भावना के अनुरूप हो।
17. कार्य के तकनीकी पहलुओं यथा कार्य का चयन, कार्य स्थल की उपयुक्तता, कार्य की गुणवत्ता, प्राक्कलन की सटीकता, कार्यपूर्णता हेतु समय-सीमा, वित्तीय अनुशासन एवं प्रचलित नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 17-07-2026
17:56:41

(विद्या भारती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

..4

पृ०क्र० 2958 / PROJ-41011/429/2026-WRD, अटल नगर, दिनाँक 17 /07/2026

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
4. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला- कांकेर / कोण्डागॉव / दन्तेवाड़ा / नारायणपुर / बस्तर / बीजापुर / सुकमा (छ.ग.)।
8. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
10. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नवा रायपुर-अटल नगर।
11. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, ... (छ.ग.)।
13. कार्यपालन अभियंता, ... (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 17-07-2026
17:57:02

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग